भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2234

गुरुवार, 4 जुलाई, 2019/13 आषाढ़, 1941 (शक)

एनएच के संबंध में नियमों में संशोधन

2234. श्री अनिल फिरोजियाः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) से संबंधित नियमों में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का आम आदमी के साथ-साथ ट्रांसपोर्टरों और कॉर्पोरेट क्षेत्र को भी राहत देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नए नियमों के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क), (ख) और (ङ): मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग नियम, 1957 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

(ग) और (घ): ट्रांसपोर्टरों के लिए प्रदान किए जाने वाले विभिन्न सुविधा उपायों में हैं- उच्च पेलोड को आसानी से ले जाने के लिए एक्सल लोड सीमा में वृद्धि, एक वर्ष से दो वर्ष तक फिटनेस की अवधि में वृद्धि, राष्ट्रीय परमिट की शर्तों में सरलीकरण, ट्रांसपोर्टरों को दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाने की अनुमति।

*****